

मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

राजकोषीय संकेतक-स.घ.उ. के% के रूप में चल लक्ष्य

	संशोधित अनुमान 2017-18	बजट अनुमान 2018-19	अनुमान	
			2019-20	2020-21
1. राजकोषीय घाटा	3.5	3.3	3.1	3.0
2. राजस्व घाटा	2.6	2.2	1.8	1.6
3. वर्ष के अंत में कुल कुल बकाया देयताएं	50.1	48.8	46.7	44.6
4. स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में के रूप में सकल कर राजस्व	11.6	12.1	12.4	12.7

टिप्पणी :— "स.घ.उ." वर्ष 2011-12 से नई श्रृंखला के अनुसार बाजार की वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद।

1. सं.अ. 2017-18 के दौरान, राजकोषीय घाट के आंकड़ों में मामूली वृद्धि हुई और ब.अ. 2017-18 में बजटित 546531 करोड़ (सघउ का 3.2 प्रतिशत) से बढ़कर सं.अ. 2017-18 में 594849 करोड़ (सघउ का 3.5 प्रतिशत) पर आ गया। ब.अ. 2017-18 में बजटित आंकड़ों की तुलना में राजकोषीय घाटे में वृद्धि मुख्य रूप से नए अप्रत्यक्ष कर के छितरे प्रभाव के कारण थी। अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करने के लिए नई प्रणाली में बदलाव द्वारा राजकोष पर अधिरोपित एक बार की लागत है। जी एस टी अधिनियम के अनुसार मार्च माह 2018 के लिए कर 20 अप्रैल, 2018 के पहले देय नहीं होता है, जो नए वर्ष में आता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, ब.अ. 2017-18 की तुलना में कर-भिन्न राजस्व में कमी आई है। जबकि कर-भिन्न राजस्व का ब.अ. 2017-18 में ₹ 288757 करोड़ होना बजटित था, आंकड़ों में गिरावट आई और ₹ 23597 करोड़ पर आ गया। इसका मुख्य कारण 2017-18 में भारतीय रिजर्व बैंक से कर-भिन्न राजस्व कम जुटाया जाना था।


2. सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है। एफआरबीएम के प्रस्तावित ढांचे में सरकार ऋण और राजकोषीय घाटे दोनों को एक साथ लक्षित करेगी जिसमें राजकोषीय घाटे को एक प्रचालनात्मक लक्ष्य के रूप में लिया जाएगा तथा राजस्व खाता अर्थात् राजस्व घाटे (आरडी) और फलतः प्रभावी राजस्व घाटे पर लिए गए घाटे के लक्ष्यों को निपटाया जाएगा। उपर्युक्त सारणी में राजस्व घाटे के अनुमानों का केवल सूचना के लिए उल्लेख किया गया है।

3. सारणी में दर्शाई गई कुल बकाया देयताओं को एफआरबीएम में सरकार द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों के अनुसार परिकलित किया गया है। केंद्रीय सरकार के ऋण की परिभाषा के दायरे को विस्तृत किया गया है ताकि इसमें भारत के लोक खाते में शामिल बकाया देयताओं सहित

सभी बकाया देयताओं को शामिल किया जा सके। इसके अतिरिक्त, विदेशी ऋण का मूल्यांकन मौजूदा विनिमय दरों के अनुसार किया गया है। अतः सारणी में दी गई कुल बकाया देयताएं विगत मध्यावधि राजकोषीय नीति के विवरण में अनुमानित/पूर्वानुमानित की गई देयताओं से भिन्न हैं। ऊपर उल्लिखित पुनःअंशशोधन के मद्देनजर केंद्र सरकार की कुल बकाया देयताएं संशोधित अनुमान 2017-18 में जीडीपी का लगभग 50.1 प्रतिशत पर अनुमानित की गई हैं और यह प्रतिशतता वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में गिरकर लगभग 48.8 प्रतिशत पर आ जाएगी। मध्यावधि में राजकोषीय अनुमानों को ध्यान में रखते हुए, कुल बकाया देयताओं के वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के अंत में गिरकर जीडीपी का क्रमशः लगभग 47 प्रतिशत और 45 प्रतिशत तक आने का अनुमान लगाया गया है। नए ढांचे में किए गए प्रस्ताव के अनुसार, केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 तक अपने ऋण/कुल बकाया देयताओं को घटाकर जीडीपी का 40 प्रतिशत तक लाने का प्रयास करेगी।

4. ज्योंही जीएसटी के भुगतान में उपर्युक्त असतता स्थिर हो जाती है त्यों ही सरकार राजकोषीय सुधार के मार्ग पर पुनः लौट आएगी। ऋण और राजकोषीय घाटे के दोहरे लक्ष्यों के साथ एफआरबीएम की नई प्रस्तावित व्यवस्था का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार वर्ष 2020-21 तक अपने 3.0 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करे।

5. राजस्व घाटा बजट अनुमान 2017-18 के ₹321163 करोड़ की तुलना में संशोधित अनुमान 2017-18 में ₹438877 करोड़ बनता है। इसलिए, जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटे का यह आंकड़ा बजट अनुमान 2017-18 में जीडीपी के 1.9 प्रतिशत की तुलना में 2.6 प्रतिशत है। अनुमानित आंकड़े के अतिरिक्त राजस्व घाटे में हुई वृद्धि को



व्यय के उस यौक्तिकीकरण के संदर्भ में भी देखा जा सकता है जिसे पूंजीगत व्यय में क्रियान्वित किया गया था। अतः हालांकि 2016-17 वास्तविक के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में 4.5 प्रतिशत की गिरावट आई, वहीं राजस्व व्यय में 14.8% की वृद्धि हुई। चूंकि यह साल जीएसटी के रूप में नई कराधान व्यवस्था लागू किए जाने का साक्षी रहा, अतः यहां यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि वृद्धि की गत्यात्मकता का वक्र अधिक नीचे ना जाए। वित्त वर्ष 2018-19 से, यह निर्णय लिया गया है कि सरकार राजस्व घाटे के लक्ष्यों को समाप्त करेगी। भारत जैसे देश में, यहां यह कहने का कोई साक्ष्य नहीं है कि पूंजीगत व्यय अपने उत्कर्ष पर रहना चाहिए। रखरखाव व्यय विशेषकर स्कूलों और अस्पतालों के लिए व्यय जिनमें अध्यापकों और चिकित्सकों के वेतन शामिल हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि नए स्कूल बनाने पर हुआ पूंजीगत व्यय। इसके अतिरिक्त, स्कूलों और अस्पतालों पर किया गया व्यय देश में मानव पूंजी निर्माण को भी बढ़ावा देता है। तथापि, इस कार्यनीति में पूंजीगत व्यय पर समझौता नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकार बजट से बाहर की उधारियों से इस जरूरत को पूरा कर रही है। इस उद्देश्य के लिए उठाए गए ऋण की वापसी ऐसी परियोजनाओं से राजस्व अर्जित करके की जाएगी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की पूंजीगत और राजस्व व्यय संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा।


6. मध्यावधिक व्यय की रूपरेखा विवरण में, यह संकेत दिया गया था कि मुख्यतः विमुद्रीकरण के अल्पकालिक प्रभावों के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। यह भी प्रत्याशा थी कि जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण अल्पकाल में राजकोषीय घाटा लक्ष्यों में वृद्धि आएगी। देश में कर राजस्वों में आवर्धित उच्छाल के कारण मध्यावधि से दीर्घावधिक घाटा लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। यद्यपि जीएसटी के कार्यान्वयन में प्रत्याशित कठिनाइयों के प्रथम

संकेत कम होते प्रतीत होते हैं, अतः अर्थव्यवस्था अभी भी पूर्णतः दुरुस्त नहीं है। मध्यावधि सकारात्मकताएं आवर्धित राजस्व उपार्जन क्षमताओं से संबद्ध हैं जो राजस्व पक्ष में किए गए मार्ग प्रशस्त करने वाले दो उपायों अर्थात् विमुद्रीकरण और जीएसटी में अंतर्निहित हैं।

राजस्व प्राप्तियों के बारे में मध्यावधिक संभावनाएं

7. नीचे दिया गया आंकड़ा 2012-13 से अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष कर में सतत वृद्धि का संकेत देता है। यह वृद्धि अंशतः बेहतर कर प्रशासन के कारण है। कर में तेजी से वृद्धि हुई है जो इस दशक के आरंभिक भाग में सीबीडीटी द्वारा किए गए टीडीएस के विस्तार से संबंधित प्रावधानों के कारण है। काफी लम्बे समय से, प्रत्यक्ष कर वृद्धि में स्थिरता आनी चाहिए। अधिक मूल्यवर्ग के नोटों को वापस लेकर बड़ी संख्या में लोगों को कर की परिधि में लाने के लिए हाल में किए गए प्रयास भी कर आधिक्य में सुधार लाने की दिशा में एक कदम है। 2017-18 और 2018-19 में प्रत्यक्ष करों से संबंधित आंकड़े संशोधित अनुमान और बजट अनुमान हैं, जबकि 2018-19 के बाद प्रत्यक्ष कर संग्रहण के आंकड़े एमटीईएफ अनुमानों को दर्शाते हैं।

8. बीजकों का मिलान होने और ई-वे बिलों के पूर्ण रूप से प्रभावी होने के बाद जीएसटी राजस्वों में वृद्धि होने की संभावना है। यदि हमें जीएसटी शासन में अप्रत्यक्ष कर दाखिलकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होने और अर्थव्यवस्था में अधिक कर वसूली के कारण अप्रत्यक्ष कर आधार का विस्तार करने की अनुमति दी जाती है तो हम आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते कि अप्रत्यक्ष कर आधिक्य भी मध्यावधि से दीर्घावधि में वृद्धि दर्शा सकता है। अतः, यह अनुमान लगाना आसान है कि उपर्युक्त वित्तीय उपाय किसी कल्पना की अपेक्षा वास्तविकता अधिक है। एक बार जब सुधार की लहर पूरी गति से आए तो हम सरलता से अनुमान लगा सकते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में अस्थायी हलचल शांत हो गई है।



9. वित्तीय (या मौद्रिक भी) लक्ष्य निर्धारित करने के संबंध में मुख्य बाधा उन लक्ष्यों की विश्वसनीयता प्राप्त करने की आवश्यकता है। राजस्व प्राप्तियों की तुलना में सुधारात्मक संकेतकों द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन के कारण यह महसूस किया जाता है कि अपेक्षाओं को सामान्य बनाने और उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करने की आवश्यकता है जिसमें विश्वसनीयता हो और जिसे सरलता से समझा जा सके। यह विशेष रूप से बदले हुए एफआरबीएम ढांचे के युग में महत्वपूर्ण है। अतः, एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों की तर्ज पर राजकोषीय घाटा और सरकार के ऋण संबंधी मानदण्डों के लिए एक स्थायी परन्तु उदार नीति अपनाने की एक सुदृढ़ स्थिति है।

जीडीपी अनुमान

10. वित्त वर्ष 2017-18 में जीएसटी लागू करने के फलस्वरूप हुई अस्थायी कठिनाई के कारण सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में अस्थायी रूप से मामूली गिरावट आई है। यह प्रत्याशा थी कि अर्थव्यवस्था के सभी भागीदारों को सिस्टम में आई बदलाव में स्वयं को समायोजित करने में समय लगता है। इसके परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था की सांकेतिक और वास्तविक जीडीपी में थोड़ी-सी गिरावट आई है। अनुमान है कि सांकेतिक जीडीपी में 2016-17 में हुई 11.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2017-18 में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्तमान वर्ष में वास्तविक जीडीपी विकास में 6.7 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। वास्तव में यह अनुमान है कि 2017-18 के दौरान ₹13006574 करोड़ की वास्तविक जीडीपी की तुलना में सांकेतिक जीडीपी ₹16784679 करोड़ का स्तर प्राप्त कर लेगा। इन आंकड़ों के लिए अप्रत्यक्ष जीडीपी अपस्फीतिकारक 3.5-3.6 प्रतिशत के समूह में हैं।

11. अनुमान है कि अल्पकाल से मध्यम काल में जाते-जाते जीएसटी शासन काफी हद तक स्थिर हो जाएगा। यह अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों के लिए आरामदायक होगा और विकास गति में सहायक होगा जिसने पुनः प्रवर्तन का संकेत दर्शाना आरंभ कर दिया है। अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि 2018-19 में सांकेतिक जीडीपी में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह अनुमानित 10.5 प्रतिशत सांकेतिक वृद्धि के सर्वोच्च शिखर पर होगी जिसकी 2016-17 की तुलना में 2017-18 में अपेक्षा

है। वास्तविक अर्थ में अनुमानित जीडीपी 7.2 प्रतिशत प्रत्याशित है। इन अनुमानों का अप्रत्यक्ष जीडीपी अपस्फीतिकारक वार्षिक आधार पर 4 प्रतिशत परिकलित है।

12. मध्यावधि में, सांकेतिक जीडीपी में 2019-20 में 11.8 प्रतिशत और 2020-21 में 12.3 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। ये 4 प्रतिशत अप्रत्यक्ष जीडीपी अपस्फीतिकारक के साथ वास्तव में क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 8 प्रतिशत हैं।

संशोधित अनुमान 2017-18 की वित्तीय संभावना

13. पिछले पैराओं में उल्लिखित कठिनाइयों के कारण बजट अनुमान 2017-18 के संदर्भ में एफआरबीएम लक्ष्यों को पुनः निर्धारित किया गया है। अतः, यह निर्णय लिया गया है कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय घाटा लक्ष्य 3.5 प्रतिशत रहेगा। यह उपाय सरकार द्वारा आरंभ किए गए व्यापक पैमाने पर सुधार कार्य, अर्थात् माल एवं सेवा कर की शुरुआत, का एक स्वाभाविक सहगामी है।

14. प्रत्यक्ष करों के संशोधित अनुमानों में वृद्धि हुई है जिसमें बजट अनुमान की तुलना में ₹25,000 करोड़ की वृद्धि देखी गई है। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि सकल कर राजस्व ₹1911579 करोड़ से बढ़कर ₹1946119 करोड़ हो गया है। तथापि, यह वृद्धि संशोधित अनुमान 2017-18 में ₹61331 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के कारण है जो बजट अनुमान 2017-18 में नहीं दिखाई नहीं दिया था। तथापि, यह वित्तीय गणनाओं में शामिल नहीं होता है क्योंकि इस प्रकार एकत्रित राशि को उसमें से पहले सीएफआई घटाकर और लोक लेखा में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरित करके राज्यों को हस्तांतरित करना होता है। तथापि, राजस्व प्राप्ति पक्ष के संबंध में, विशेषकर जो उन संसाधनों को प्रभावित करते हैं जिन्हें केन्द्र सरकार केन्द्रीय राशि में जोड़कर उपयोग कर सकती है, कुल राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान ₹1515771 करोड़ में से ₹71674 करोड़ कम होकर संशोधित अनुमान ₹1444097 करोड़ रह गया। उपर्युक्त कमी मुख्यतः ₹926900 करोड़ के बजट अनुमान में से ₹51856 करोड़ का प्रत्यक्ष कर संग्रह कम होकर संशोधित अनुमान ₹875044 करोड़ रह जाने

के कारण है। कमी का एक मुख्य कारण वर्तमान वित्त वर्ष के पिछले माह की विभिन्न तारीखों को कर दाखिल करने का प्रभाव था। मार्च, 2018 माह का जीएसटी विवरणी दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अप्रैल है और इसलिए, इस वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र जिस राजस्व का उपयोग कर सकता है वह उस सीमा तक कम है। कर भिन्न राजस्व पहलु पर भी ₹2,88,757 करोड़ का बजट आकड़ा ₹52783 करोड़ घटकर ₹2,35,974 करोड़ हो गया।

15. पूँजीगत प्राप्तियों के संबंध में, ऋण-भिन्न पूँजीगत प्राप्तियाँ बजट अनुमान ₹84432 करोड़ से ₹33041 करोड़ बढ़कर संशोधित अनुमान में ₹117473 करोड़ हो गईं। यह उच्चाल मुख्यतः 72500 करोड़ के बजट अनुमान में ₹27500 करोड़ की विनिवेश प्राप्तियाँ बढ़ाकर संशोधित अनुमान 2017-18 में ₹100000 करोड़ करने के कारण हुआ। ऋण और अग्रिम की वसूली के संबंध में भी 2017-18 के बजट अनुमान ₹11,932 करोड़ में ₹5541 करोड़ की थोड़ी वृद्धि होकर संशोधित अनुमान 2017-18 में ₹17473 करोड़ हुई है। कुल निवल ऋण में बजट अनुमान ₹546531 करोड़ में 48318 की वृद्धि होकर संशोधित अनुमान में यह 594849 करोड़ हो गया है। इन ऋणों की आवश्यकता निवल अतिरिक्त व्यय, जिसे भारत सरकार द्वारा किया गया है, के वित्तपोषण के लिए होगी।

16. बजट अनुमान 2017-18 के ₹2146734 करोड़ की तुलना में कुल व्यय के लिए संशोधित अनुमान ₹2217750 करोड़ होगा। यह बजट अनुमानों में ₹71011 करोड़ अथवा 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। बजट अनुमानों में वृद्धि का मुख्य कारण ₹61331 करोड़ की वृद्धि है जो जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के कारण राजस्व विभाग की मांग पर मुहैया कराई गई है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में उपर्युक्त 13.2 प्रतिशत है जो 2016-17 के वास्तविक से 12.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अन्य वृद्धियाँ मुख्यतः सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के निर्णय के पश्चात अनुदानगाही निकायों और स्वायत्तशासी निकायों को भी वेतन प्रदान करने की आवश्यकता के कारण हुई।

17. राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के अंतरण से राजकोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उपर्युक्त राशियाँ कुछ विनिर्दिष्ट विलासिता एवं गुणरहित वस्तुओं जैसे कि तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों, पान मशाला, एयरेटेड जल, मोटर वाहनों पर 28 प्रतिशत की अधिकतम दर पर उपकर के रूप में लगाई गई हैं। इसे जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व की हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए आरंभ करने का प्रस्ताव है। इन राशियों को जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 10 के अनुसार लोक लेखा जिसे जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि कहते हैं, में एक गैर-व्यपगत निधि में अंतरित किया जाता है।

18. स.अ. 2017-18 में बड़ी सब्सिडियों में ₹10597 करोड़ की गिरावट पाई गई। यह कमी बड़ी सब्सिडियों के सभी घटकों जैसे खाद्य, उर्वरक और ईंधन, में देखी गई। संबंधित गिरावट क्रमशः ₹5057 करोड़, ₹5000 करोड़ और ₹540 करोड़ थी। ये मुख्यतः विभिन्न क्षेत्रों में इन बड़ी सब्सिडियों के युक्तिकरण करने के कारण संभव हुए। संपूर्ण व्यय के संदर्भ में, राजस्व व्यय ₹1836934 करोड़ से बढ़कर ₹1944305 करोड़ हो गया है। यह बजट अनुमान से ₹1,07,371 करोड़ या 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

19. राजस्व व्यय में हुई वृद्धि को पूँजीगत व्यय में कमी करके संतुलित किया गया जिसके लिए धनराशि की व्यवस्था बजटीय संसाधनों के माध्यम से की गई थी। ₹36,355 करोड़ की कमी की गई जो बजट अनुमान की तुलना में 11.3 प्रतिशत की कमी दर्शाती है। कमी का मुख्य कारण रेलवे को प्रदान की गई सहायता और राज्य सरकारों को ईएपी ऋण अंतरित करने की विधि का यौक्तिकरण है। भारत सरकार द्वारा रेलवे को दी जाने वाली सहायता में ₹15000 करोड़ की कमी हुई क्योंकि यह निर्णय लिया गया कि रेलवे वृहत्तर वित्तीय स्वायत्त निकाय की दिशा में परिवर्तित होने की शुरुआत संक्रमण के रूप में सीधे बाजार से संपर्क करने का प्रयास करेगा। राज्यों को ईएपी ऋण के संदर्भ में, बजट अनुमान ₹18500 करोड़ था। मुख्य शीर्ष (7601) में ऋण के अंतर्गत यह व्यय वास्तव में माध्यम प्रकृति का था; क्योंकि राज्य केवल भारतीय समेकित निधि की गारंटी के तहत बाहर से उधार ले सकते हैं। इसलिए, जब ऋण राज्य सरकारों थी तो इस व्यवस्था से भारत सरकार की एफडी प्रभावित होती थी। जबकि ऋण राज्य सरकारों की देयताएं थी, इस व्यवस्था को इस तथ्य को प्रदर्शित करने के लिए बदला गया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को 4500 करोड़ रुपए या इसके आस-पास की राशि की अंतिम पुनर्दयगियां ही भारत सरकार के व्यय की हिस्सा होंगी। इस लेखांकन व्यवस्था को भारत सरकार के 13500 करोड़ रुपए के बराबर घटाई गई पूँजीगत व्यय के रूप में दर्शाया जाएगा तथापि, इस प्रकार के ईएपी ऋणों से अंतिम परिणाम अपरिवर्तित रहेगा।

वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय संभावना

20. सरकार का आगामी वित्त वर्ष 2018-19 में आने वाली अस्थायी समस्या के पश्चात राजकोषीय परिशोधन के मार्ग पर वापस आने का लक्ष्य होगा। यह वर्ष नए लक्षित ढांचे का प्रथम वर्ष भी होगा, जिसमें सरकार का ऋण और राजकोषीय घाटे को कम करने का दोहरा लक्ष्य होगा। सरकार का उद्देश्य बजट अनुमान 2018-19 में सघउ का 3.3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटा लक्ष्य तक पहुँचने का है।

21. सरकार का सकल कर राजस्व (जीटीआर) संशोधित अनुमान के ₹1946119 करोड़ से बढ़कर बजट अनुमान 2018-19 में ₹2271242 करोड़ होना प्रत्याशित है। यह ₹1946119 करोड़ के संशोधित अनुमान पर 16.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सघउ के प्रतिशत के रूप में सं.अ. 2017-18 में अनुमानित 11.6 प्रतिशत की तुलना में 12.1 प्रतिशत होने का पूर्वानुमान है। अन्य शब्दों में यह अनुमान है कि राजस्व के प्रतिशत के रूप में जीटीआर के संबंध में मध्यावधि पूर्वानुमान लक्ष्य पर है। संसद में बजट 2017-18 के साथ रखे नए मध्यावधि विवरण में यह माना गया था कि जीटीआर वर्ष 2017-18 में स.घ.उ. का 11.3 प्रतिशत होगा। जीटीआर से सघउ के अनुमानों के सापेक्ष जीटीआर में एकदम उछाल आया जो कि पहले 11.6 प्रतिशत था। यहां सावधानी यह बरतनी है कि जीटीआर में एक भाग, जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर (जो ₹90000 करोड़ बैठता है) शामिल है जिसका केंद्र सरकार द्वारा अपनी व्यय संबंधी वचनबद्धताओं के लिए प्रयोग नहीं जा सकता।

22. प्रत्यक्ष करों के भी बजट अनुमान 2018-19 में बढ़कर ₹1150000 तक पहुँचने का पूर्वानुमान है। इसका अर्थ है संशोधित अनुमान 2017-18 की तुलना में 2018-19 में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि उसके दोनों रूपों (नामतः) निगम आयकर और वैयक्तिक आयकर में होने की आशा है। इनके क्रमशः ₹621000 करोड़ और ₹529000 करोड़ तक पहुँचने का बजट अनुमान है।

23. बजट अनुमान 2018-19 में अप्रत्यक्ष करों के ₹1116000 करोड़ तक पहुँचने की आशा है। पूर्वानुमान है कि जीएसटी राजस्व संशोधित अनुमान 2017-18 के ₹444631 करोड़ की तुलना में बजट अनुमान 2018-19 में ₹743900 करोड़ हो जाएगा। इस तथ्य के मद्देनजर कि जीएसटी प्रथम तिमाही के समाप्त होने के उपरांत ही लगाया गया था, अप्रत्यक्ष करों का गैर जीएसटी घटक बजट अनुमान 2018-19 में ₹372100 करोड़ हो जाएगा। आशा है कि अप्रत्यक्ष कर संशोधित अनुमान 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में 17.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़ेगा।

24. गैर-कर राजस्व (एनटीआर) सरकार के कुल राजस्व के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। उसमें सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज अदायगियां तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लाभांशों और लाभों द्वारा किया गया एक बड़ा अंशदान शामिल है। एनटीआर के, संशोधित अनुमान 2017-18 की तुलना में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बजट अनुमान 2018-19 में ₹245185 करोड़ होने की आशा है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, गैर-कर राजस्व घटक की 1.3 प्रतिशत की भागीदारी है। गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के संशोधित अनुमान 2017-18 में ₹117473 करोड़ की तुलना में बजट अनुमान 2018-19 में ₹92199 करोड़ होने का अनुमान किया गया है। इन प्राप्तियों में प्रमुख भागीदारी विनिवेश प्राप्तियों की है, जिनके संशोधित अनुमान ₹100,000 करोड़ की तुलना में बजट अनुमान 2018-19 में ₹80000 करोड़ होने का अनुमान किया गया है। उधारों के ₹624276 करोड़ होने की आशा की गई है, जिसमें से अधिकांश मुख्यतः बाजार उधारों के माध्यम से वित्तपोषित होंगी।

25. संशोधित अनुमान के ₹2217750 करोड़ की तुलना में बजट अनुमान 2018-19 में ₹2442213 करोड़ का कुल व्यय होने का अनुमान है। इन दोनों आँकड़ों में राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति के फलस्वरूप होने वाले व्यय शामिल हैं। बजट अनुमान 2017-18 में इस राशि के ₹61331 करोड़ की तुलना में ₹90000 करोड़ होने का अनुमान है, जिसे संशोधित अनुमान 2017-18 में रखा गया है। बजट अनुमान 2018-19 में कुल व्यय में ₹224463 करोड़ की वृद्धि हुई है और यह संशोधित अनुमान 2017-18 की तुलना में 10.12 प्रतिशत अधिक बैठता है। क्षतिपूर्ति उपकर के भाग का घटक हटाने के बाद यदि हम व्यय पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि इसमें 9.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹1,95,794 करोड़ की कुल वृद्धि हुई है। यह मामूली वृद्धि इस बात की साक्षी है कि बढ़ते व्ययों पर दबावों को नियंत्रित किया गया। मंत्रालयों और विभागों के सभी पक्षों पर विचार करने के बाद इन वृद्धियों को प्रभावी बनाया गया है। यह सुनिश्चित करने पर बल था कि खर्च न की गई शेष राशि और व्यय की गति जैसे प्रमुख परिवर्तनशील तत्वों को ध्यान में रख कर बढ़े हुए आबंटन को वास्तविक व्यय में परिवर्तित किया जाए। यह सरकार की उस नीति को सुनिश्चित करने के अनुरूप है जिसके अनुसार सरकारी विभागों के पास अपना व्यय करने के लिए पूरा वित्तीय वर्ष उपलब्ध है।

26. विकास संबंधी घाटा कम करने के लिए उपरोक्त सेक्टरों पर बल दिए जाने के कारण राजस्व व्यय में संशोधित अनुमान 2017-18 में ₹1944305 करोड़ से बढ़ कर बजट अनुमान 2018-19 में ₹2141772 करोड़ हो गया है अर्थात् ₹197467 करोड़ की स्पष्ट वृद्धि हुई है जो 10.2 प्रतिशत की वृद्धि है। राजस्व व्यय में उपरोक्त सांकेतिक वृद्धि प्रमुख क्षेत्रों में स्पष्ट नजर आ रही थी। संशोधित अनुमान 2017-18 से ₹44952 करोड़ दर्शाने के लिए बजट में ब्याज भुगतान का प्रावधान

किया गया है। संशोधित अनुमान 2017-18 में ₹530843 करोड़ से बजट अनुमान 2018-19 में बढ़ कर ये ₹575795 करोड़ हो गए संशोधित अनुमान 2017-18 की तुलना में यह 8.5 प्रतिशत की वृद्धि है। पेंशन भुगतान, संशोधित अनुमान ₹147387 करोड़ से बढ़ कर बजट अनुमान 2018-19 में ₹168466 करोड़ हो गया जो ₹21079 करोड़ (14.3 प्रतिशत) की वृद्धि है। प्रमुख सब्सिडियों पर व्यय 15.1 प्रतिशत बढ़कर संशोधित अनुमान में ₹229742 करोड़ से बजट अनुमान 2018-19 में ₹264346 करोड़ हो गया है। प्रमुख सब्सिडियों में सरकार द्वारा की गई वृद्धि खाद्य, उर्वरक और ईंधन जैसे सभी सब्सिडी शीर्षों में स्पष्ट रूप से देखी गई है। क्रमशः ₹29041 करोड़; ₹90 करोड़ तथा ₹473 करोड़ की वृद्धि करने के लिए खाद्य सब्सिडी बजट विहित की गई है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रमुख सब्सिडियों के सकल घरेलू उत्पाद के 1.4 प्रतिशत पर स्थिर बने रहने का अनुमान है।

27. रक्षा सेवा से जुड़े व्यय के आबंटन में भी वृद्धि देखी गई है जो संशोधित अनुमान 2017-18 में ₹267107 करोड़ से बढ़कर ₹2,82,734 करोड़ हो गया। रक्षा सेवाओं के लिए ₹15627 करोड़ की वृद्धि हुई है जो संशोधित अनुमान 2017-18 की तुलना में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि है। रक्षा सेवाएँ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 1.5 प्रतिशत है।

28. बजट अनुमान 2018-19 में पूँजी व्यय बजट-विहित किया गया है जिससे संशोधित अनुमान 2017-18 का ₹273445 करोड़ का आँकड़ा बढ़ कर बजट अनुमान 2018-19 में ₹300441 करोड़ हो गया। इसलिए अनुमान है कि पूँजीगत व्यय वापस उस रास्ते पर आ जाएगा जिसका अनुसरण पहले किया जा रहा था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय के वर्ष 2018-19 में बढ़ कर 1.6 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। तथापि, यह पूँजीगत व्यय सरकार के वास्तविक पूँजी व्यय को नहीं दर्शाता है। इसके कम से कम दो कारण हैं। यह तथ्य, कि अनुदानग्राही निकायों द्वारा अपनी पूँजी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उन्हें सरकार द्वारा दिए जाने वाले ₹195345 करोड़ तक के अनुदान की गणना सरकार के राजस्व व्यय के रूप में की जाती है रेलवे द्वारा रेल संबंधी निर्माण पर किये जाने वाले व्यय भी इस धनराशि में शामिल नहीं किए जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे संसाधनों से प्राप्त किया जाता है जिनका सृजन वे भारत सरकार के बजट आबंटन का सहारा लिए बिना स्वतंत्र रूप से करते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), मेट्रो आदि जैसे निकायों के लिए सरकार ने बाजार से बांड उगाहने की अनुमति दी है। उससे स्पष्ट होता है कि भारत सरकार का वास्तविक पूँजी व्यय, ₹300441 करोड़ की उपरोक्त राशि से अधिक है।

2019-20 और 2020-21 के लिए राजकोषीय संभावना

29. राजकोषीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 से संबंधित पूर्वानुमान उपरोक्त खंडों में खाली छोड़ दिए गए हैं। इसलिए वर्ष 2019-20 और 2020-21 में उन राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना और इन परस्पर संबंधित लक्ष्यों, विशेषकर वे जो देश में नगण्य सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित हैं, को प्राप्त करने पर आश्रित है।

30. जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है नए ढाँचे में राजस्व घाटा लक्ष्यों को वह प्रमुखता प्राप्त नहीं होगी जो इसे पहले प्राप्त थी। ऐसा, पूँजी व्यय को प्राथमिकता देने के कारण उत्पन्न उस विसंगति को दूर करने के लिए है जो उस ढाँचे में अन्तर्निहित थी, जहाँ राजस्व घाटे में हासमान प्रवृत्ति का अनुसरण किया जा रहा था। तथापि, परिसंपत्तियों

का सृजन करने के अतिरिक्त, उन परिसंपत्तियों के रख-रखाव पर उचित बल दिए जाने की जरूरत है जिनकी स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, भारत जैसे संघीय देश में सरकार द्वारा कतिपय योजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली राज्य सरकार की एजेंसियों पर डाले जाने वाले पूँजी से जुड़े सभी अंतरणों के भार को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मानव पूँजी के भाग के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भौतिक पूँजी पर किया जाने वाला व्यय।

31. ऊपर किए गए विश्लेषण के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि हाल में कराधान में सुधार के संबंध में की गई पहलों का लाभांश सरकार को जरूर प्राप्त होगा। जबकि प्रत्यक्ष कर में वृद्धि दर दर्शाती है कि विभुद्रीकरण के संबंध में संभवतः लाभांश मिलने शुरू हो गए हैं, सरकार को पूर्ण विश्वास है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का विस्तार होने से केन्द्र सरकार की राजकोषीय संभावनाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी।

32. इस क्षेत्र में एक प्रमुख अनिश्चितता राज्य सरकार के मोर्चे पर बनी हुई है। उदय 'बांडों का उन्मोचन विचाराधीन है और ये राज्य के राजकोषीय गणनाओं पर उर्ध्वमुखी प्रभाव डाल सकते हैं। संशोधित एफआरबीएम अधिनियम के युग में जहां केन्द्र सरकार का ऋण जीडीपी के 60 प्रतिशत तक होने की सीमा है, राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर इनसे पड़ने वाले प्रभावों का अनुमान कोई भी लगा सकता है।

33. वर्ष 2019-20 और 2020-21 में इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह प्रत्याशा है कि केन्द्रीय सरकार का सकल कर राजस्व क्रमशः ब.अ. 2018-19 और 2019-20 की तुलना में 14.3 प्रतिशत और 14.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाएगा। इन वर्षों के लिए सकल कर राजस्व, संबंधित वर्षों में ₹2595775 करोड़ और ₹2977350 करोड़ के पूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इन आंकड़ों में माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर के कारण इनमें से प्रत्येक वर्ष में ₹90000 करोड़ की राशि भी शामिल है। इन वृद्धियों का तात्पर्य है कि कर स.ब.उ. अनुपात क्रमशः 2019-20 में 12.4 प्रतिशत और 2020-21 में 12.7 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। इन उछालों को उल्लेखनीय रूप से कराधार के विस्तार से सहायता मिलेगी और इसलिए वर्धित कर उछाल क्रमशः विमुद्रीकरण और माल एवं सेवा कर से संबंधित है।

34. कर राजस्व संबंधी उपर्युक्त आंकड़ों के अलावा सरकार की राजस्व प्राप्तियों का दूसरा महत्वपूर्ण घटक सरकार की कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां हैं। ये क्रमशः 2019-20 और 2020-21 में 8.4 प्रतिशत और 11 प्रतिशत बढ़ी हैं। इन दरों पर बढ़ने से दो संबंधित वर्षों में कर भिन्न राजस्व बढ़कर क्रमशः ₹265867 करोड़ और ₹295000 करोड़ तक पहुंचने की प्रत्याशा है। स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में प्रत्येक में 1.3 प्रतिशत पर बने रहने का पूर्वानुमान है क्योंकि इसके साथ ही साथ निजी क्षेत्र की क्षमता भी और अधिक बंधन मुक्त वृद्धि की ओर बढ़ रही है।

35. व्यय मोर्चे पर सरकार का कुल व्यय जो 2018-19 (ब.अ.) में स.घ.उ. के 13.0 प्रतिशत पर पहुंचने के लिए बजटित था, उसके 0.3 प्रतिशतांक गिरकर 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः 12.7 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान है। व्यय की रूपरेखा में राजस्व पूँजी का समिश्रण ब.अ. 2018-19 में 12.3 में बढ़कर 2020-21 में 13 प्रतिशत से थोड़ा अधिक रहने की प्रत्याशा है।

राजकोषीय सांकेतिकों में अंतर्निहित अनुमान

कर राजस्व

36. सकल कर राजस्व, जो 2007-08 से लंबी अवधि के लिए स.घ.उ. के 10 प्रतिशत के दायरे में स्थिर था, इसके ब.अ. 2017-18 में स.घ.उ. के 12.1 प्रतिशत बढ़ने का पूर्वानुमान था। ब.अ. 2018-19 में यह सं.अ. 2017-18 के 11.6 प्रतिशत से अधिक है। 2019-20 और 2020-21 में, सकल कर राजस्व में 14.3 प्रतिशत और 14.7% वृद्धि होने का अनुमान है। कर राजस्व में वृद्धि का पूर्वानुमान रुढ़ीवादी आधार पर लगाया गया है, जब इसे सं.अ. 2017-18 में 13.4 प्रतिशत वृद्धि और ब.अ. 2018-19 में 16.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में देखा जाता है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां वित्त वर्षों 2019-20 में क्रमशः 14.7% और 15.1% बढ़ाने का पूर्वानुमान है और वित्त वर्ष 2020-21 में क्रमशः 15% और 15.5% बढ़ाने का पूर्वानुमान है। इन आंकड़ों में गिरावट का पूर्वाग्रह है। एक बार जब कर सुधार उपायों से लाभांश मिलना आरंभ होगा, निश्चित तौर पर इन प्रतिशतों में वृद्धि होगी।

37. प्रत्यक्ष कर संग्रहण में सं.अ. 2017-18 की तुलना में ब.अ. 2018-19 में 14.4 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। 2017-18 में प्रत्यक्ष करों का सकल कर राजस्व में 50.7 प्रतिशत योगदान होने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष कर, जिनमें, माल एवं सेवा कर लागू किए जाने के प्रथम वर्ष होने के कारण थोड़ी गिरावट आयी है, इसके सं.अ. 2017-18 की तुलना में ब.अ. 2018-19 में 17.3 प्रतिशत वृद्धि दर दर्शाने की आशा है।

राज्यों को अंतरण

38. 2017-18 के संशोधित अनुमान में करों के राज्यों के हिस्से का अंतरण ₹676005 करोड़ होने का अनुमान है। ब.अ. 2018-19 में, राज्य करों में राज्यों का हिस्सा 76843 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो सकल कर राजस्व के विभाज्य पूल का 42 प्रतिशत (उपकरों/अधिकारों और संग्रहण लागत आदि को घटाकर) है। मध्यावधि में, सकल कर राजस्व में राज्यों के हिस्से का पूर्वानुमान चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर लगाया गया है। राज्यों के करों के हिस्से के अंतरण के बाद केन्द्र का निवल कर राजस्व ब.अ. 2018-19 में ₹1390553 करोड़ होना अनुमानित है, जो अनुमानित स.घ.उ. का 7.4 प्रतिशत है। केन्द्र का निवल कर राजस्व क्रमशः 2019-20 और 2020-21 में मामूली बढ़कर स.घ.उ. के 8 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत होने का अनुमान है।

कर-भिन्न राजस्व

39. कर-भिन्न राजस्व में भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश शामिल है। रेल बजट का केन्द्रीय बजट में विलय के बाद 2017-18 से रेलवे लगी हुई पूँजी पर लाभांश का भुगतान नहीं करेगा। तथापि, कुछ अन्य मंत्रालयों की तरह रेलवे ने सीपीएसयू भारत सरकार को लाभांश का भुगतान करेंगे। केन्द्र द्वारा पहले दिए गए ऋणों के लिए मुख्य रूप से राज्यों से ब्याज प्राप्तियां, टेलीकाम प्राप्तियां, अपतटीय तेल क्षेत्रों से रायल्टी और लाभ पेट्रोलियम तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगाए गए अन्य प्रयोक्ता प्रभाव एवं शुल्क आदि से होती हैं।

40. बजट 2018-19 में, कर-भिन्न राजस्व सं.अ. 2017-18 में 1.4 प्रतिशत की तुलना में स.घ.उ. के 1.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। मध्यावधि में यह प्रत्याशा है कि कर-भिन्न राजस्व 2019-20 में 6.9 प्रतिशत और 2020-21 में 9.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। उपर्युक्त वृद्धि दर के साथ कर-भिन्न राजस्व 2019-20 में स.घ.उ. के लगभग 1.3 प्रतिशत के स्तर पर रहने की आशा है। 2020-21 में और अधिक बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

41. यह उल्लेखनीय है कि कर-भिन्न राजस्व का घटक देश में पर्याप्त रूप से लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की उपस्थिति पर निर्भर रहता है। तब इन लाभों को बजटीय आवंटन के माध्यम से विकासात्मक कार्य करने के लिए फिर से लगाया जा सकता है। तथापि, प्रतिस्पर्धी ताकत भी काम कर रही है अर्थात् सरकार के साथ निवेश धीरे-धीरे उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने से दूर होना चाह रहा है। इससे, ऐसी यूनितों द्वारा चुकता कुल लाभांश से भारत सरकार के हिस्से का लाभांश कम हो जाएगा। तथापि, ऐसी यूनितों में सुधरी हुई लाभदायकता और जिम्मेदारी राजस्व में ऐसी कमी की पूर्ति करेगी।

पूँजीगत प्राप्तियां

ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां

42. ऋण-भिन्न पूँजी प्राप्तियों के दो प्रमुख घटक हैं अर्थात् ऋणों और अग्रिमों की वसूली तथा विनिवेश प्राप्तियां। ऋणों और अग्रिमों की वसूली ब.अ. 2018-19 में 12199 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए लिए गए ऋणों के क्रयागत अंतरण को छोड़कर राज्यों के लिए कोई नया ऋण न देने से इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां धीरे-धीरे गिरती प्रकृति दर्शा रही हैं। इसके अतिरिक्त, इसके लिए सीमित प्राप्तियों का उपयोग विगत के विदेशी ऋणों की हमारी देनदारियों की अदायगी के लिए किया जाएगा। ऋणों की वसूली का अन्य स्रोत उनको पहले दिए गए ऋणों की चुकौती के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से है (इस समय पुनरुद्धार या अदालती मामलों के निपटान के लिए दिए जाने वाले ऋण को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को कोई ऋण नहीं दिया जाता है)। तथापि, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से गैर वसूली के कारण हानि उठाने वाली और रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से गैर वसूली के कारण प्रभावित होती है। राज्यों से देय चुकौतियों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्तियों की वास्तविक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए 2019-20 और 2020-21 में अनुमानित प्राप्तियों की राशि इन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में ₹10,000 करोड़ रखी गई है।

अन्य ऋण-भिन्न पूँजीगत प्राप्तियां

43. विनिवेश ऋण-भिन्न पूँजीगत प्राप्तियों का प्रमुख भाग है। ये आस्तियों की सामरिक बिक्री सहित सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी शेयर की बिक्री के कारण प्राप्त होती हैं। ब.अ. 2017-18 में, विनिवेश प्राप्तियां ₹72500 करोड़ होनी थी। सं.अ. 2017-18 में, कुल विनिवेश प्राप्तियां ₹100000 करोड़ अनुमानित है। मध्यावधि में इस राशि में कमी आने की प्रत्याशा है क्योंकि पात्र विनिवेशित कंपनियों की संख्या घटेगी। अतः ब.अ. 2018-19 में, विनिवेश प्राप्ति ₹80000 करोड़ होना बजटित है और 2019-20 तथा 2020-21 प्रत्येक में ₹60000 करोड़ पर आने का पूर्वानुमान है।

उधार-सरकारी ऋण और अन्य देनदारियां

44. वापसी खरीद/अंतरणों को छोड़कर दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए भारत सरकार द्वारा सकल और निवल बाजार उधार 2017-18 में क्रमशः ₹580000 करोड़ और ₹423226 करोड़ बजटित था, जो वित्त वर्ष 2016-17 में ₹583045 करोड़ और ₹408199 करोड़ उधार की तुलना में क्रमशः सकल में 0.3 प्रतिशत और निवल उधार में 0.5 प्रतिशत गिरावट का द्योतक है। ब.अ. 2017-18 में दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए बाजार उधार सकल राजकोषीय घाटे के 77.4 प्रतिशत का वित्तपोषण करना बजटित था। सकल राजकोषीय घाटा के वित्तपोषण के अन्य स्रोत जैसाकि राजकोषीय हुंडियां, अल्प बचत संग्रहण, राज्य भविष्य निधि, निवल विदेशी सहायता और कम नकद आहरण के द्वारा स.घ.उ. के बाकी 22.6 प्रतिशत का वित्तपोषण बजटित था। विदेशी सहायता से उगाही बजट अनुमान से 24.5 प्रतिशत कम थी जबकि राज्य भविष्य निधि से उगाही मामूली अधिक रही।

45. स. अ. 2017-18 में सघउ के 3.5 प्रतिशत वर्धित राजकोषीय घाटा लक्ष्य जो ₹ 594849 करोड़ रुपए है का वित्तपोषण करने के लिए सरकार ₹ 479864 करोड़ के कुल निवल बाजार उधार (जी-सेक+टी बिल) का सहारा लेगी। शेष घाटे का (₹ 102628 करोड़) राज्य भविष्य निधि की प्राप्तियां (₹ 15000 करोड़), आरक्षित निधि, जमा राशि और अग्रिम (₹ 34518 करोड़) के लिए प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए वित्तपोषण करने का प्रस्ताव है। यह परिकल्पना की गई है कि वित्त वर्ष के अंत में शेष घाटे के लिए प्रतिभूतियों के निर्गम के सरकार ₹ 39379 करोड़ नगद शेष का निर्माण करेगी।

46. ब.अ. 2018-19 में स.घ.उ. के 3.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा लक्ष्य का वित्तपोषण करने के लिए, जो ₹ 624276 करोड़ है, सरकार ₹ 407120 करोड़ के कुल निवल बाजार उधार (जी-सेक+टी बिल) का सहारा लेगी। शेष घाटे का वित्तपोषण अल्प बचत संग्रहण (₹ 75000 करोड़) राज्य भविष्य निधि प्राप्तियां (₹ 17000 करोड़), आरक्षित निधि, जमा राशि और अग्रिम (₹ 84689 करोड़) आदि के अंतर्गत प्राप्तियों के लिए प्रतिभूतियों के निर्गम द्वारा करने का प्रस्ताव है। यह परिकल्पना की गई है कि सरकार वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में ₹ 43066 करोड़ कम नगद आहरण करेगी।

47. वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में एमटीएफडी विवरण में राजकोषीय घाटा 3.1 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत है। मध्यावधि में धीरे धीरे राजकोषीय समेकन होने तथा जीएसटी के स्थिर होते ही सरकार के राजस्व में गति आने से उधारों में कमी आ सकती है। सरकारी घाटे में कमी आने से निजी निवेश और पूँजी अंतर्वाहों के लिए अधिक गुंजाइश होगी। आशा है कि पिछले कुछ वर्षों में पूँजी व्यय पर सरकार द्वारा लगातार बढ़ावा दिए जाने के बाद निवेश में तेजी आएगी। इससे मुद्रास्फीति का दबाव कम होगा और मौद्रिक नीति को उदार बनाना भारतीय रिजर्व बैंक के लिए आसान होगा।

48. विशेषकर एफआरबीएम अधिनियम के लागू होने के बाद 2001-02 में 61.4 प्रतिशत से लगातार गिरावट होने के बाद ऋण स.घ.उ. अनुपात हालिया वर्षों में स्थिर हुआ है। सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन किए जाने के बावजूद, मुख्यतः गिरती प्रवृत्ति में ठहराव, कम सांकेतिक स.घ.उ. वृद्धि की संख्या के कारण आया। संशोधित अनुमान 2017-18 के अंत में, सरकार की कुल बकाया देनदारियां स.घ.उ. का

50.1 प्रतिशत अनुमानित हैं, जो 2018-19 तक घटकर 48.8 प्रतिशत हो जाएगा। गिरती प्रवृत्ति को जारी रखते हुए 2019-20 में इसमें और अधिक लगभग 47.7 प्रतिशत गिरावट आने और 2020-21 के अंत तक 44.6 प्रतिशत पर आने की संभावना है। भारत सरकार के नए उधार की लागत में कम मुद्रास्फीति द्वारा कमी लाने से मध्यावधि में मुद्रास्फीति नियंत्रण में किए गए प्रयासों से सरकार को फायदा होगा। इसके फलस्वरूप कम ब्याज चुकता करना होगा। सरकार के ऋण स.घ.उ. अनुपात में प्रगामी रूप से कमी करने से ब्याज भार हल्का होगा और बिना अतिरिक्त उधार लिए ही अन्य सामाजिक रूप से उत्पाद क्षेत्रों में खर्च करने के लिए सरकार के पास अधिक गुंजाइश होगी।

कुल व्यय

49. आयोजना और आयोजना-भिन्न के विलय के बाद जो 2017-18 के बजट से लागू किया गया था, व्यय का कृत्रिम विभाजन पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यह आशा है कि पूंजी और राजस्व आधारित वर्गीकरण के साथ बजट पेश करने से लोक संसाधनों का अधिक सक्षम उपयोग होगा। पर्याप्त निधियन के लिए सरकार की कार्यचालन लागत के वांछित स्तरों का आकलन करने के लिए राजस्व पूंजी वर्गीकरण पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना अनिवार्य है। यह वर्गीकरण संविधान द्वारा भी अधिदेशित है।

50. 2017-18 के संशोधित अनुमान की तुलना में ₹224463 करोड़ या 10.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ब.अ. 2018-19 में केन्द्र का कुल व्यय ₹2442213 करोड़ अनुमानित है। स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय 2009-10 में स.घ.उ. के 15.8 प्रतिशत उच्च स्तर से गिरकर 2015-16 में स.घ.उ. के 13.2 प्रतिशत पर आ गया था। 2018-19 के बजट में, सरकार का कुल व्यय स.घ.उ. के 13 प्रतिशत पर अनुमानित है। मध्यावधि में इन प्रतिशतों में और अधिक गिरावट आने और 2019-20 और 2020-21 में स.घ.उ. के 12.7 प्रतिशत पर आने की प्रत्याशा है।

राजस्व खाता

51. बजट 2018-19 में अनुमानित कुल राजस्व व्यय ₹2141772 करोड़ है, जो 2017-18 के संशोधित अनुमान की तुलना में ₹197467 करोड़ था। यह 10.2 प्रतिशत की वृद्धि है। राजस्व व्यय, जिसका, 2017-18 की बजट अवस्था में कुल व्यय का 85.6 प्रतिशत होने का अनुमान था, वह बढ़कर 2017-18 के संशोधित अनुमान में 87.7 प्रतिशत हो गया है। आगामी दो वर्षों में इसके उसी दर पर स्थिर बने रहने की आशा है।

52. सरकार के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक में ब्याज भुगतान, सब्सिडियां, वेतन और पेंशन, रक्षा राजस्व व्यय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों पर व्यय और राज्य/संघ राज्य सरकारों को किए गए राजस्व अंतरण शामिल है। वित्त आयोग के अनुदानों, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और अन्य अंतरणों के रूप में किए गए अंतरण शामिल है। दूसरी अंतरण श्रेणी में जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकारों को अंतरण, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को अनुदान भी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों का महत्वपूर्ण भाग है, जो राजस्व व्यय की प्रकृति के हैं। इन पर आगे के पैराग्राफों में संक्षिप्त चर्चा की जा रही है।

ब्याज भुगतान

53. ब्याज भुगतान केन्द्र के राजस्व भाग व्यय का सबसे बड़ा घटक होता है। ब.अ. 2017-18 में, ब्याज भुगतान ₹523078 करोड़ अनुमानित था। यह केन्द्र की राजस्व प्राप्ति का 34.5 प्रतिशत है। सं.अ. 2017-18 में ब्याज भुगतान ₹530843 करोड़ अनुमानित है और यह अनुमान केन्द्र की राजस्व प्राप्तियों का 36.8 प्रतिशत होने की आशा है। ब.अ. 2017-18 की तुलना में केन्द्र की राजस्व प्राप्ति में गिरावट के कारण अनुपात बिगड़ गया और ब्याज भुगतान व्यय में वृद्धि होने के कारण भी मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान प्रतिलाभ में मजबूती आयी। ब.अ. 2018-19 में, यह प्रत्याशा थी कि केन्द्र की कुल राजस्व प्राप्ति गिरकर 35.2 प्रतिशत पर आ जाने से ब्याज भुगतान से अनुपात में थोड़ा सुधार होगा।

54. मध्यावधि में ब्याज भुगतानों का अनुमान सुखद होने की आशा है जो अंशतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सफल मुद्रास्फीति प्रबंधन के कारण है। कुल राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में कुल ब्याज भुगतान व्यय 2019-20 में 33.4 प्रतिशत और 2020-21 में 31.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। उपर्युक्त पूर्वानुमान का एक प्रमुख जोखिम देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में पेट्रोलियम और अन्य तेल कीमतों में किसी वृद्धि का प्रभाव है।

प्रमुख सब्सिडियां

55. खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर प्रमुख सब्सिडियों पर व्यय राजस्व व्यय का दूसरा महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है। प्रमुख सब्सिडियों पर व्यय ब.अ. 2017-18 में ₹240339 करोड़ होने का अनुमान है। सं.अ. 2017-18 में इस आंकड़े में गिरावट आकर ₹229742 करोड़ तक आने की प्रत्याशा है। यद्यपि स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में ये 1.4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहे, मध्यावधि में यह आशा है कि यह आंकड़ा धीरे-धीरे गिरेगा। ब.अ. 2018-19 में प्रमुख सब्सिडियां ₹264346 करोड़ अनुमानित हैं, जो सं.अ. 2017-18 की तुलना में ₹34604 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। सघउ के प्रतिशत के रूप में यह भी 1.4 प्रतिशत परिकलित किया गया है। तथापि, मध्यावधि में क्रमशः 2019-20 और 2020-21 में इसके गिरकर 1.3 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत पर आने का अनुमान है।

56. सूचना/निधियों के सरल और तेज प्रवाह के लिए और लाभार्थियों को सटीक रूप से लक्षित करने के लिए, दोहरापन से बचने और धोखाधड़ी कम करने आदि के लिए कल्याणकारी स्कीमों में मौजूदा प्रक्रिया को पुनः इंजीनियरिंग करके सरकारी सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाने के लक्ष्य से सरकार ने सब्सिडी सुधार के उपाय शुरू किए हैं। प्रमुख सब्सिडियों के लिए किए गए सुधार के उपायों पर राजकोषीय कार्ययोजना विवरण में विस्तृत चर्चा की गई है। यह आशा है कि मध्यावधि में सक्रिय नीतिगत सुधारों के गति पकड़ने से प्रमुख सब्सिडियों पर बजटीय व्यय स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में धीरे-धीरे कम हो जाएगा।

रक्षा सेवाएं

57. रक्षा सेवा राजस्व व्यय में मुख्य रूप से वेतन पर व्यय संबंधी अन्य स्थापना संबंधी मदें जिनमें भण्डार शामिल है, निर्माण कार्य संबंधी रखरखाव पर व्यय, परिवहन और अन्य विविध व्यय शामिल हैं। रक्षा सेवा राजस्व व्यय का संशोधित अनुमान ₹175861 करोड़ के बजटीय अनुमान

की तुलना में ₹180608 करोड़ है। ब.अ. 2018-19 में इसके ₹188723 करोड़ होने का अनुमान है। यह वृद्धि वेतन तथा अन्य प्रचालनात्मक राजस्व खर्च के लिए अतिरिक्त आवंटन किए जाने के कारण हुई। ब.अ. 2018-19 में रक्षा आवंटन किए जाने के कारण हुई। ब.अ. 2018-19 में रक्षा राजस्व व्यय में वृद्धि सं.अ.2017-18 की तुलना में 4.5 प्रतिशत है। रक्षा सेवाओं का राजस्व घटक 2019-20 लगभग 9.7 प्रतिशत और 2020-21 में 11 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

वित्त आयोग के अनुदान

58. वित्त आयोग के अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सांविधिक उपबंधों के अधीन राज्य सरकारों को दिए जाते हैं। 14वें वित्त आयोग ने, राजस्व घाटा अनुदान, राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के लिए सहायता अनुदान, और ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान के संबंध में इस संवैधानिक उपबंधों के अधीन अनुदानों की सिफारिश की थी। ब.अ. 2018-19 में वित्त आयोग अनुदान ₹109374 करोड़ अनुमानित है। 2019-20 में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इन सांविधिक अनुदानों के ₹133678 करोड़ होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2019-20 14 वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि का अंतिम वर्ष होगा। तथापि, वित्त वर्ष 2020-21 में अनुमानों के लिए वित्त आयोग अनुदान पिछले वर्ष के स्तर पर होना अनुमानित है।

पेंशन

59. भारत सरकार में पेंशन भुगतानों की घटना मुख्यतः तीन अनुदान की मांगों अर्थात् रक्षा (पेंशन), सिविल (पेंशन) और दूरसंचार विभाग में उठती है। जबकि सिविल (पेंशन) सभी विभागों की आवश्यकता पूरी करता है, अन्य दो मांगें विशिष्ट मंत्रालय / विभाग के संबंध में पेंशन व्यय की पूर्ति करती हैं। पेंशन पर व्यय ब.अ. 2017-18 में ₹131201 करोड़ से बढ़कर सं.अ. 2016-17 में ₹147387 करोड़ होने का अनुमान है। यह मुख्य रूप से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण होगा। 2018-19 के बजट अनुमान में पेंशन पर कुल व्यय ₹168466 करोड़ होना अनुमानित है, यह वर्ष के लिए अनुमानित से ब.अ. का 0.9 प्रतिशत है। इसमें रक्षा पेंशन के लिए ₹108853 करोड़, सिविल पेंशन के लिए ₹46378 करोड़ और दूरसंचार पेंशन के लिए ₹11676 करोड़ शामिल है। पेंशनों पर कुल व्यय सघउ के अनुपात के रूप में मध्यावधि में क्रमशः 2019-20 में सघउ का लगभग 0.9 प्रतिशत और 2020-21 में सघउ का 0.8 प्रतिशत होने का अनुमान है।

पूंजी परिव्यय

60. केन्द्र का कुल पूंजी व्यय 2016-17 (वास्तविक) में ₹ 2,86,282 करोड़ था। सं.अ. 2017-18 में केन्द्र का पूंजी व्यय घटकर ₹ 2,73,445 करोड़ रह गया जो 2016-17 (वास्तविक) की तुलना में 4.5 प्रतिशत कम है और यह 2017-18 के संशोधित अनुमान में अनुमानित कुल व्यय का 12.3 प्रतिशत बैठता है। ब.अ. 2018-19 में पूंजी व्यय का प्रावधान ₹ 300441 करोड़ है जो इस वर्ष के कुल अनुमानित व्यय का 12.3 प्रतिशत बैठता है। मध्यावधि में पूंजी व्यय का हिस्सा 2019-20 में 12.6 प्रतिशत और 2020-21 में 12.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। हालांकि, पूंजी स्वरूप के केन्द्र सरकार के व्यय के समग्र परिदृश्य में यह लाभदायक होगा कि केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नियोजित अनुमानित आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों की समीक्षा की जाए। केन्द्रीय

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन ब.अ. 2017-18 में ₹3,850,27 करोड़ रहने का अनुमान था जो वर्ष के संशोधित अनुमान में अब 476859 करोड़ होने का अनुमान है। ब.अ. 2018-19 में कुल आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन ₹ 478271 अनुमानित हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार बजट बाह्य संसाधनों के जरिए पूंजी स्वरूप के महत्वपूर्ण व्यय का वित्तपोषण कर रही है जहां इस प्रयोजनार्थ उधार लेने की अनुमति दी जाएगी और इसे मंत्रालयों/ विभागों के बजटीय आवंटनों के जरिए पूरा किया जाएगा।

निम्नलिखित के संबंध में दीर्घकालिकता का मूल्यांकन

1. राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन

61. वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमानों में केन्द्र की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹1505428 करोड़ होने का अनुमान है वर्ष 2017-18 में संशोधित अनुमान में 2017-18 में अनुमान बजट की तुलना में राजस्व व्यय में ₹ 1,07,371 करोड़ की वृद्धि का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे के संशोधित अनुमान के 2017-18 की जीडीपी के 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। यह उछाल के कम ज्यादा होने का मामला है। बजट अनुमान 2018-19 में राजस्व घाटा के जीडीपी के 2.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। मध्यम रूप में यह आंकड़ा इस प्रकार प्रक्षेपित किया गया है कि यह कम होता जाएगा और 2019-20 में यह क्रमशः 1.8 प्रतिशत और 2020-21 में 1.6 प्रतिशत हो जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत जैसे अनेक विकासात्मक घाटे वाले देश में, राजस्व घाटे पर अनावश्यक बल दिए जाने से सामान्य विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मानव पूंजी और स्कूलों तथा अस्पतालों और परिसंपत्तियों के रख-रखाव पर बल देकर मानव पूंजी और इसका विकास, जो राजस्व व्यय के रूप में होते हैं, उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना भवन और सड़क महत्वपूर्ण होते हैं।

62. इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने राजकोषीय समझदारी के लक्ष्य के रूप में आर डी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके स्थान पर इसने समग्र रूप में सरकारी व्यय की संतोषणीयता पर विचार करने का निर्णय लिया है। निस्संदेह, बजट में राजस्व व्यय संतुलन प्राप्त करने के प्रयास जारी रखे जाएंगे।

2. उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग

63. राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के अनुपात में मोटे तौर पर सरकार के चालू व्यय के वित्तपोषण के लिए प्रयुक्त ऋण की सीमा को मापा जाता है। बजट अनुमान 2018-19 में 66.6 प्रतिशत का अनुपात स्तर संशोधित अनुमान 2017-18 में 73.8 प्रतिशत के अनुपात से बेहतर था। मध्यम रूप में इस अनुपात के क्रमशः 2019-20 के लगभग 59% से बढ़कर 2020-21 में 55 प्रतिशत होने का अनुमान है। जैसा कि अनेक वर्षों में स्पष्ट किया गया है, राजस्व घाटे के उच्च स्तर का प्रमुख कारण संरचनात्मक कारण हैं जिसके द्वारा पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए केन्द्र के व्यय आवंटन को राज्य के अधिकार क्षेत्र में या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन के लिए बजट में रखा जाता है। जिसके लिए राजस्व अनुदानों के रूप में हस्तांतरित निधियों का प्रयोग किया जाता है।